

FORM NO. III

APP A
crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवाँ,

जिला- दून्दी (राज.)

राष्ट्रपाल रामपाल

164/512

सन्

गरीब
हुस

हुस या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुस की तामील
में जारी हुए

28/12/24

पत्र/ पत्र/ पत्र अन्वय पत्र 25/12 RT Act
द्वारा व्यक्ति का नाम रामपाल शर्मा पेश किया गया।
संरिस्ता रिपोर्ट में उल्लेख किया गया। पत्रवाली दर्ज रजिस्टर की जाकर
प्रतिवादी/अपवादी/उपनिर्वाही के सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दि. 9.12.24
को पेश हो।

पत्रावली नं. 208
केस नं. 208
में जारी

3/12/24

पत्रावली पत्रावली नं. 208 के सं. अभियान के
तहत केस नं. 208 के लाहौर में आज पेश हुई
पत्रावली के नोटिस बाद तमिल लेसगु ही
रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अप्पनापत्र
संख्या 52/2024 स्वीकृत हो जाने से इस
अप्पनापत्र में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में
कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है अतः अप्पना
पत्र खारिज किया जाता है निर्णय सुनाया
गया। पत्रावली बाद तमिल दाखिल बफतर
है।

